संख्या- 606 /2021/2286/41-2021-01(नीति)/2017

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 10 नवम्बर, 2021**

विषयः-उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1862/पर्यटन नीति-2018/15-2-1281(3)/2018 दिनांक 11 अगस्त, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में निवेश आकर्षण के प्रोत्साहन हेतु पर्यटन नीति-2018 में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने एवं पर्यटन उद्योग के बहुमुखी विकास हेतु शासनादेश सं0-14/2018/710/41-2018-01(नीति) /2017 दिनांक 16 फरवरी, 2018 द्वारा पूर्व में उ0प्र0 पर्यटन नीति-2018 प्रख्यापित की गई है।

3- ज्ञातव्य है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग को अत्यन्त भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, जिसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश किये जाने हेतु निवेशक हतोत्साहित हो रहे है और पर्यटन क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा निवेश किये जाने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में विभाग को कई होटल एसोसिऐशन, पर्यटन उद्योग के निवेशकों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोविड आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों में सहायता हेतु पर्यटन नीति में संशोधन किये जाने हेतु निरंतर अनुरोध पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं।

4- उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा समस्त सुझावों एवं प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु एक विभागीय समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा अन्य प्रदेशों की प्रख्यापित नीतियों का अध्ययन करके एवं विभिन्न होटल एसोसिऐशन से प्राप्त उनके अनुरोध पत्रों का परीक्षण करके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदेश में पर्यटन व सत्कार सेवाओं में और निवेश आकर्षित करने हेतु पर्यटन नीति-2018 में संशोधन किये जाने संबंधी आवश्यक बिन्दुओं पर संस्तुति महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध कराई गई।

5- पूर्व में प्रख्यापित पर्यटन नीति-2016, 05 वर्षों के लिए प्रभावी थी परन्तु पर्यटन नीति 2018 प्रख्यापित होने के कारण पर्यटन नीति-2016 को 02 वर्षों में ही अवक्रमित कर दिया गया, जिससे उद्यमियों को पर्यटन नीति-2016 के लाभ प्रदान नहीं किये जा सके। इस प्रकार पर्यटन नीति 2016 को सम्मिलित करते हुए पर्यटन नीति 2018 की प्रभावी अवधि दिनांक 01 फरवरी, 2016 से निवेशकों को लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया क्योंकि पर्यटन नीति 2018 के प्रख्यापन से विगत 03 वर्षों में निवेशकों को सब्सिडी का लाभ निर्गत न किये जाने से उद्यमियों/निवेशकों के समक्ष असफल पर्यटन नीति की छवि प्रदर्शित हो रही थी।

6- पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत नई इकाईयों की परिभाषा व इकाई के निर्माण के संबंध में स्पष्टता न होने के कारण उद्यमियों को नीति के वित्तीय प्रोत्साहन व लाभ प्रदान नहीं किये जा पा रहे थे। उत्तर प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

7- वर्ष 2016-17 में लीज पर दी गई पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों के निविदादाताओं द्वारा भी उनके निवेश को नया निवेश मानते हुए, निवेश के सापेक्ष सब्सिडी प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। उक्त संदर्भ में निविदादाताओं द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार गठित विभागीय समिति की आख्यानुसार अन्य प्रदेशों की पर्यटन नीतियों में लीज पर दी जाने वाली इकाईयों को सब्सिडी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

8- विभाग द्वारा समय-समय पर उद्यमियों/निवेशकों से पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत निवेश में आ रही समस्याओं व सुझावों के संबंध में बैठकें/वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें उद्यमियों/निवेशकों द्वारा अवगत कराया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-465/आठ-1-18-59 विविध/2018 दिनांक 25.05.2018 के अंतर्गत वर्णित शर्तों बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला(ड्रेनेज) आदि सुविधायें न होने के कारण इकाईयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क में छूट प्रदान नहीं की जा रही है, साथ ही एक्सपैंशन कर रही पर्यटन इकाईयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किये जाने हेतु संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन द्वारा भी निरंतर अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये हैं।

9- मेले-महोत्सव, स्थानीय व्यंजन/खानपान, संस्कृति, कला आदि के क्षेत्र में भी अत्यधिक निजी निवेश को आकर्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए पर्यटन नीति 2018 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अंतर्गत पंजीकरण किये जाने हेतु और श्रेणियों में यथा-मार्गीय सुविधा, कैरावेन टूरिज्म, वाटर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट/होटल, ग्राम स्टे/फार्म स्टे, कैम्पिंग साइट व फिक्सड टेंट यूनिट, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे व पेईंग गेस्ट योजनाओं को भी सम्मिलित किये जाने हेतु उद्यमियों/निवेशकों द्वारा निरन्तर अनुरोध किया गया है। प्रख्यापित पर्यटन नीति-2018 में शासनादेश सं0-176/2018/3480/41-2018-01 (नीति)/2017 दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा कतिपय अन्य स्थलों/सर्किटों को सम्मिलित किया गया।

10- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 पर्यटन नीति 2018 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	अध्याय व प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	अध्याय-9 प्रस्तर-2	**पर्यटन नीति के अंतर्गत नई इकाई की परिभाषा** पर्यटन नीति की प्रभावी अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों को नई पर्यटन इकाई माना जायेगा।	**पर्यटन नीति के अंतर्गत नई इकाई की परिभाषा** 01 फरवरी, 2016 के बाद मानचित्र पारित कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ(निर्माण प्रारम्भ के साक्ष्य हेतु पारित मानचित्र की तिथि, विद्युत कनेक्शन व निर्माण प्रारम्भ करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा ली गई अनापत्ति) करने वाली इकाईयों को नवीन पर्यटन इकाईयों के रूप में माना जायेगा।
2	अध्याय-9 प्रस्तर-2	परिभाषा अंकित नहीं है।	परिभाषा अंकित की जानी है। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में लीज पर दी गई पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों व भविष्य में लीज पर दी जाने वाली इकाईयों को भी संबंधित विकासकर्ता/निवेशक द्वारा किये जाने वाले निवेश के सापेक्ष पर्यटन नीति 2018 में नई पर्यटन इकाई मानते हुए नीति के समस्त लाभ अनुमन्य किये जायेंगे।
3	अध्याय-9 प्रस्तर-1	पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत परिभाषित इकाईयों निम्नवत हैं- 1. होटल 2. बजट होटल 3. हेरिटेज होटल 4. रिसोर्ट 5. स्पोर्टस रिसोर्ट 6. टेन्टेड एकोमोडेशन 7. टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एण्ड ट्रेनिंग	पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु निम्न श्रेणियों को भी पर्यटन नीति के अंतर्गत अनुमन्य लाभ हेतु सम्मिलित किया जाता है- 1. होटल 2. बजट होटल 3. हेरिटेज होटल 4. इको टूरिज्म रिसोर्ट 5. स्पोर्टस रिसोर्ट 6. टेन्टेड एकोमोडेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		इन्स्टीट्यूट्स 8. एडेवेन्चर टूरिज्म प्रोजेक्ट 9. थीम पार्क 10. कन्वेंशनसेंटर 11. रिवर क्रूज टूरिज्म यूनिट 12. वेलनेस टूरिज्म यूनिट	7.टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स 8. एडेवेन्चर टूरिज्म प्रोजेक्ट 9. थीम पार्क 10. कन्वेंशन सेंटर 11. रिवर क्रूज टूरिज्म यूनिट 12. वेलनेस टूरिज्म यूनिट 13. मार्गीय सुविधा 14. कैरावेन टूरिज्म 15. ग्राम स्टे/फार्म स्टे 16. कैम्पिंग साइट व फिक्सड टेंट यूनिट 17. साउण्ड एण्ड लाइट शो/लेजर शो 18. टूर एण्ड ट्रैवल ऑपरेटर 19. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे/पेयिंग गेस्ट **होटल-** न्यूनतम रू0 10.00 करोड़ का निवेश (भूमि की लागत छोड़कर) व न्यूनतम 50 कक्षों की आवासीय सुविधाप्रदान करने वाली इकाईयों को होटल माना जायेगा। भूमि क्षेत्रफल 02 एकड़ होने की स्थिति में न्यूनतम कक्षों की संख्या 30 हो सकती है। **मार्गीय सुविधाः-** राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य राजमार्ग या जिला प्रमुख सड़क या इन सड़कों से कुछ दूरी (100 मीटर के अन्दर) पर स्थापित होने वाली सामान्य जन सुविधाएं (क्षेत्रफल 500 वर्ग मी0)। डब्लू0एस0ए0 नीति 2016 के अनुसार वे-साईड सुविधाएं स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिएः 1. कार/पर्यटक कोच/बस पार्किंग 2. एयर कंडीशन फूड प्लाजा/रेस्टोरेन्ट (न्यूनतम 25 व्यक्तियों की क्षमता) 3. महिलाओं, पुरुषों और विकलांगों के लिए अलग-अलग शौचालय। 4. बच्चों का खेल क्षेत्र/लॉबी 5. प्राथमिक चिकित्सा सुविधा/दूरसंचार सुविधा। 6. 24/7 पानी और बिजली की आपूर्ति मार्गीय सुविधाओं की स्थापना में निवेश हेतु

			न्यूनतम रू0 10 लाख की परियोजना में 20 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 20 लाख तक होगी। **कैरावेन टूरिज्मः-** पर्यटन हेतु विशेष रूप से निर्मित वाहन(न्यूनतम वीहल बेस 03 मीटर एवं लम्बाई 05 मीटर) जिसका उपयोग समूह उन्मुख अवकाश के उद्देश्य के लिए किया जाता हो एवं जिसमें कम से कम 2 बिस्तर की क्षमता हो। पर्यटन मंत्रालय के तहत निर्धारित कैरावेन की न्यूनतम आवश्यकतायें:- 1. 2 लोगों के लिए सोफा सह बिस्तर। 2. फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के साथ किचेन। 3. टॉयलेट क्यूबिकल में हैंड शॉवर और पर्याप्त ताजे पानी का भंडारण। 4. चालक के पीछे विभाजन। 5. लेनिन एण्ड क्लोदिंग हेतु स्टोरेज। 6. यात्री और चालक के बीच संचार। 7. एयर कंडीशन (वांछनीय)। 8. खाने की मेज। 9. ऑडियो/वीडियो सुविधा। 10. पूर्ण चार्जिंग सिस्टम- बाहरी और आंतरिक। 11. जीपीएस (वांछनीय)। 12. केरावैन सेनेटाइजेशन, बिजली, सीवरेज, पानी एवं पार्किंग सुविधाएं। कैरावेन टूरिज्म की स्थापना में निवेश हेतु न्यूनतम रू0 25 लाख की परियोजना में 20 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 20 लाख तक होगी। **ग्राम स्टे/फार्म स्टेः-** न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में न्यूनतम 10 कक्षों की क्षमता में स्थानीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्थापित होने वाली पर्यटन इकाईयाँ जो पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति/कला/संगीत/ खानपान/क्राफ्ट का अनुभव प्राप्त करायेंगी। ग्राम स्टे/फार्म स्टे की स्थापना में निवेश हेतु न्यूनतम रू0 25 लाख की परियोजना में 20 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।